भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1964

दिनांक 2 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

1964. श्री चमला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए तीसरी और चौथी तिमाही के अपने हिस्से का 347.54 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या तेलंगाना एक मात्र ऐसा राज्य है जिसको निधि का हिस्सा जारी नहीं किया गया है, यदि नहीं, तो लंबित धनराशि सहित अन्य राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य निधि जारी किए जाने में हो रहे विलंब की निगरानी के लिए कोई प्रणाली बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है तथा लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदायगी का दायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि,केंद्र सरकार विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) के अंतर्गत संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग और अवसंरचना के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंत्रालय द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को व्यय विभाग की शर्तों को पूरा करने के आधार पर निधियां जारी की जाती है। एनएचएम के तहत निधियां राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों की प्राप्ति और एनएचएम के कार्यान्वयन के संबंध में जारी योजनाबद्ध दिशानिर्देशों, मौजूदा मैनुअल्स, दिशानिर्देशों, निदेशों और परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुपालन के आधार पर जारी की जाती है।

तेलंगाना राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्रीय स्तर पर जारी धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

वित्त वर्ष	**केंद्रीय स्तर पर जारी धनराशि**
2021-22	725.67
2022-23	683.77
2023-24	564.93
2024-25	210.56

इसके अलावा, डीओई के दिशानिर्देशों के अनुसार, तेलंगाना राज्य को 15.06.2024 तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित राशि का 25% यानी 153.89 करोड़ रुपये (नकद) और कुल 210.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बातचीत की जाती है। एनएचएम के कार्यान्वयन और प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रणाली मौजूद हैं जैसे:

- एनपीसीसी बैठकों के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की कार्यवाही के रिकॉर्ड की प्रमुख डिलीवरेबल्स की समीक्षा,
- निधियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- बाद की किश्तों को जारी करना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और योजना के दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन के आधार पर सख्ती से किया जाता है।
- लेखा परीक्षा: -
    - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा
    - वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा - सीएजी के साथ सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा वार्षिक वैधानिक लेखा परीक्षा और प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र, और
    - चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट फर्मों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय निगरानी रिपोर्ट (एफएमआर) प्रस्तुत करना।

इसके अलावा, समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से तेलंगाना राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है, सेवा वितरण के लिए मानक स्थापित करके प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है और उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाता है।

******